रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 909] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 909] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1021(अ).—जहां कि आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग, के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ.5 (अ), दिनांक 2 जनवरी, 1992, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 2 जनवरी, 1992 को प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें अधिसूचना सं. का.आ. 926 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1994, अधिसूचना सं. का.आ. 892 (अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 1997; अधिसूचना सं. का.आ 444(अ), दिनांक 21 मई, 2001; अधिसूचना सं. का.आ 1258 (अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2004; अधिसूचना सं. 227 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2008; अधिसूचना सं. 218 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2011 तथा अधिसूचना सं. का.आ. 654 (अ) दिनांक 4 मार्च, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया है, के तहत राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण प्रोन्नयन समिति का गठन किया था।

और जहां कि आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 छ के उप-नियम (1) के तहत् उपर्युक्त अधिसूचनाओं के द्वारा, केन्द्र सरकार ने 14 व्यक्तियों को उक्त समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किया था।

और जहां कि उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 03 मार्च 2017 को समाप्त हो गया है;

अत:, अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 छ के उप-नियम (1) और (3) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना की तारीख से लेकर एक वर्ष की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण प्रोन्नयन समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करती है:-

1. न्यायमूर्ति आर.सी लाहोटी	भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश	—अध्यक्ष
2. श्री अमरदीप सिंह चीमा	उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता	—सदस्य
3. डॉ. अमिया कुमार शर्मा	कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहटी	—सदस्य
4. श्री बलदेव चौधरी	भूतपूर्व-अध्यक्ष, उ.प्र. कांग्रेस समिति (अनु.जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ)	—सदस्य
5. श्रीमती चेतना सिन्हा	वयष्टि वित्त और महिला उद्यमिता, संस्थापक एवं अध्यक्ष, मन देशी बैंक	—सदस्य
6. श्री.डी.आर.मेहता	पद्मभूषण एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक, भगवान महाबीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर	—सदस्य
7. श्री एनरिको पिपेरनो	पूर्व टेनिस खिलाड़ी और कोच	—सदस्य
8. श्री अबीब ए फाकिह	स्थानीय स्वशासन एवं लोक प्रशासन विशेषज्ञ तथा उपाध्यक्ष, भाषा-विज्ञान संघ एवं धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थापक, महाराष्ट्र	—सदस्य
9. प्रो. नलादी समुयेलू	सेवामुक्त प्रोफेसर, समाज-शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुन्टूर	—सदस्य
10. डॉ. नरेश गुप्ता	निदेशक, (प्रो. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्तपताल), नई दिल्ली	—सदस्य
11. श्री संजीव कुमार अरोड़ा	चार्टरित लेखाकार	—सदस्य
12. श्रीमती शमीमा रैना	सामाजिक कार्यकर्ता	—सदस्य
13. श्रीमती शशिकला वमानन	शिक्षाविद्	—सदस्य
14. श्री विनायक लोहानी	सामाजिक उद्यमी और परिवार के संस्थापक	—सदस्य

[फा. सं. 7/2017/फा.सं.वी.27013/28/2016.(रा.समि)]

एस. आर. शर्मा, निदेशक (राष्ट्रीय.समिति)